

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

-//// अधिसूचना ////-

भोपाल, दिनांक 24/01/2006

क्रमांक 29/एफ-15-6/2005/चार-ब/आनिविई - मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्, 2005) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 है।
- (2) ये मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्, 2005);
 - (ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ग) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
 - (घ) 'पूर्व वर्ष' से अभिप्रेत है चालू वर्ष का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष;
 - (ङ) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (माक्रोइकॉनामिक फ्रेम वर्क स्टेटमेंट):

अधिनियम की धारा 6 के अधीन यथा अपेक्षित वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण प्ररूप एफ-1 में होगा।

4. मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण:

(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित मध्यम – कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्ररूप एफ-2 में होगा जिसमें निम्नलिखित राजकोषीय सूचकों के सम्बन्ध में पांच वर्ष के चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट) अंतर्विष्ट होंगे;—

- (क) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा;
- (ख) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा;
- (ग) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में परादेय कुल दायित्व।

(2) मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में राजकोषीय सूचकों के लिए ऊपर वर्णित लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए पूर्वानुमानों को तथा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में दर्शित की गई मर्दानों से सम्बन्धित धारणीयता के निर्धारण को भी स्पष्ट किया जाएगा।

5. राजकोषीय नीति युक्ति विवरण:—

अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा अपेक्षित राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, प्ररूप एफ-3 में होगा।

6. प्रत्याभूति;

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में उल्लिखित कुल राजस्व प्राप्तियों में वे प्राप्तियां सम्मिलित नहीं होंगी, जो अस्थायी प्रकृति की हों।

7. प्रकटन;

(1) राज्य सरकार, बजट पेश करते समय, अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित विवरणों में करेगी, अर्थात्:—

- (क) प्ररूप एफ-4 में राजकोषीय स्थिति के सिलेक्ट सूचकों का एक विवरण;
- (ख) प्ररूप एफ-5 में राज्य सरकार के दायित्वों के घटकों तथा उधारों की ब्याज लागत/निक्षेपों की गतिशीलता का एक विवरण;
- (ग) प्ररूप एफ-6 में संचित निक्षेप निधि पर एक विवरण;
- (घ) प्ररूप एफ-7 में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों पर एक विवरण;
- (ङ) प्ररूप एफ-8 में प्रत्याभूति मोचन निधि पर एक विवरण;
- (च) प्ररूप एफ-9 में वित्तीय आस्तियों का एक विवरण;
- (छ) प्ररूप एफ-10 में बढ़ाई गई किन्तु वसूल न की गई राजस्व मांग पर राज्य सरकार द्वारा किये गये दावों तथा वचनबंध पर एक विवरण;

- (ज) प्ररूप एफ-11 में राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण।
- (2) उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

8. अनुपालन करवाने के लिए उपाय;

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही के अंत में प्राप्तियों तथा व्ययों के रूख (ट्रेंड) में छहमाही पुनर्विलोकन के परिणाम से यदि यह दर्शित होता है कि:—

- (एक) कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां उस कालावधि के लिए बजट प्राक्कलन के 10 प्रतिशत से कम हैं; या
- (दो) राजकोषीय घाटा उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन से 10 प्रतिशत अधिक है; या
- (तीन) राजस्व घाटा उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन से 10 प्रतिशत अधिक है;

तब;

- (क) राज्य सरकार, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित समुचित उपाय करेगी; और
- (ख) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार वित्त मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, द्वितीय तिमाही के अंत के ठीक पश्चात् किए गए सुधारात्मक उपायों और उस वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे के लिए संभाव्यताओं का ब्यौरा देते हुए विवरण देगा।

9. पुनर्विलोकन:—

इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन का पुनर्विलोकन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली किसी एजेंसी द्वारा दो वर्ष में एक बार किया जाएगा और ऐसे पुनर्विलोकन को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगा।

प्ररुप - एफ - 1

(नियम 3 देखिये)

वृहद आर्थिक रुप रेखा विवरण (माक्रो इकानामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेण्ट)

क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार:- उत्पादन की वृद्धि की दर में रुखों का संक्षिप्त विश्लेषण.

2. सकल राज्य घरेलू उत्पादन/वृद्धि:- समग्र जी.एस.डी.पी. वृद्धि तथा इसकी क्षेत्रीय संरचना में रुखों का एक विश्लेषण.

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार:- राजस्व संग्रहण तथा व्ययों में रुखों का विश्लेषण और महत्वपूर्ण राजकोषीय सूचकों को सम्मिलित करते हुये राज्य के वित्त साधन में विकास।

4. संभावनायें:- वृद्धि संभावनाओं तथा राजकोषीय संभावनाओं से संबंधित आकलन।

ख. सिलेक्ट राजकोषीय सूचकों में रुख

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन में प्रतिशत	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन में प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)					
2.	कर राजस्व (2.1+2.2)					
2.1	राज्य कर					
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा					
3.	करेतर राजस्व					
4.	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान					
5.	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)					
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली					
7.	शुद्ध लोक ऋण					
8.	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति					
9.	कुल प्राप्तियां (1+5)					
10.	राजस्व व्यय (10.1+10.2)					
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय					
10.2	आयोजना राजस्व व्यय					
10.3	राजस्व व्यय					
	किसमे					
10.3.1	ब्याज भुगतान					
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)					
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन					
10.3.4	पेंशन संदाय					
11.	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)					
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय					
11.2.	आयोजना पूँजीगत व्यय					
12.	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)					
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम					
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम					
13.	कुल व्यय					
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)					
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)					
14.	राजस्व घाटा (1-10)					
15.	राजकोषीय घाटा (1+6-13)					
16.	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)					

प्ररूप - एफ - 2

(नियम 4 देखिये)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

क - राजकोषीय सूचक - चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

क्रमांक	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष (वर्ष-2) लेखा	चालू वर्ष (वर्ष-1) पुनरीक्षित प्राक्कलन (पु.अ.)	आगामी वर्ष (वर्ष) बजट प्राक्कलन (ब.अ.)	आगामी 3 वर्षों के लिये लक्ष्य		
					वर्ष+1	वर्ष+2	वर्ष+3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा						
(2)	सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा						
(3)	सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियां) दायित्व						

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान:-

(1) राजस्व प्राप्तियां

- (क) कर-राजस्व
- (ख) करेतर राजस्व
- (ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य कर राजस्व का हिस्सा
- (घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य करेतर राजस्व का हिस्सा

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ:- ऋण-स्टाक, प्रतिसंदाय तथा नवीन उधार

- (क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम
- (ख) एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां
- (ग) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली
- (घ) वित्तीय संस्थाओं से उधार
- (ड.) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध), भविष्य निधि आदि

(च) बकाया दायित्व-आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व

(3) कुल व्यय

(क) राजस्व लेखा

(एक) ब्याज संदाय-(क) वर्ष के दौरान उधारों पर ; (ख) बकाया दायित्वों पर

(दो) मुख्य सहायकी (सब्सिडी)

(तीन) वेतन

(चार) पेंशन

(पांच) अन्य

(ख) पूंजीगत लेखा-

(एक) उधार तथा अग्रिम

(दो) पूंजीगत परिव्यय

(4) सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जी.एस.डी.पी.) वृद्धि

ग. निम्नलिखित के संबंध में धारणीयता का निर्धारण -

- (1) **सामान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा विशिष्टतः राज्य की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन-** मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में, चालू वर्ष के लिये जी.एस.डी.पी. अनुपात-कर, जी.एस.डी.पी. अनुपात-स्वप्रेरणा कर तथा जी.एस.डी.पी. अनुपात-केन्द्रीय कर में राज्य का अंश और पश्चात्पूर्ती चार वर्षों के लिये इसे उपार्जित करने हेतु अपेक्षित परिवर्तन का निर्धारण विनिर्दिष्ट होगा। इसमें वेतन, पेंशन, सहायिकी और ब्याज के भुगतानों पर होने वाले व्यय में अन्तर्विष्ट नीतियों की चर्चा हो सकेगी। उधारों और अन्य दायित्वों को सम्मिलित करते हुये पूंजीगत प्राप्तियों का निर्धारण, घोषित नीतियों के अनुसार किया जायेगा। विवरण में, जी.एस.डी.पी. के लिये प्रायोजनों को भी दिया जा सकेगा और धारणीयता उद्देश्य को प्राप्त करने में सूचकों को रेखांकित करते हुये अन्तर्निहित पूर्वानुमानों के आधार पर इसकी चर्चा हो सकेगी।
- (2) **उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये बाजार के उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग:-** मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में, उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये पूंजीगत प्राप्तियों के प्रस्तावित उपयोग को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। इसमें इन प्रवर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों को भी बताया जा सकेगा और इन पर सरकार की व्यापक नीति के निबंधनों के अनुसार चर्चा की जा सकेगी।
- (3) **आगामी दस वर्ष के लिये प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व:-** मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में, विकास दर के रुख के आधार पर पूर्व विचार करते हुये पेंशन दायित्वों का प्राक्कलन किया जा सकेगा।

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति विस्तृत विचार** - इसमें वर्तमान में प्रचलित राजकोषीय नीति का विस्तृत विचार प्रस्तुत है।
- (2) **आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति** - यह कर और करेतर नीति, व्यय नीति, उधारों और आकस्मिक दायित्वों की बाबत कार्यवाही करने के संबंध में है।
- (3) **आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकतायें** - इसमें संसाधनों का जुटाव, व्यय प्रबंधन में अन्तर्निहित व्यापक सिद्धान्तों, लोक ऋण के प्रबंधन से संबंधित प्राथमिकताओं का वर्णन है।
- (4) **नीति परिवर्तन के लिये मूलाधार** - यह सहायिकी तथा पेंशन पर व्यय, लोक ऋण के प्रबंधन और लोक उपयोगिता के प्रभारों को सम्मिलित करते हुये बजट में दिये गये व्ययों के बारे में मुख्य नीति में परिवर्तनों के संबंध में है।
- (5) **नीति मूल्यांकन** - इसमें राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों और मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में दिये गये राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में चालू राजकोषीय नीति का निर्धारण प्रस्तुत है।

प्ररुप -एफ - 4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु क्रमांक	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(जी.एस.डी.पी.) सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा			
(2)	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा			
(3)	(जी.एस.डी.पी.) सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा			
(4)	टी.आर.आर. के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा			
(5)	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जी.एस.डी.पी.) का अनुपात (प्रतिशत)			
(6)	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)			
(7)	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)			
(8)	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)			
(9)	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय			
(10)	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान			
(11)	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय			
(12)	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय			

प्ररूप - एफ - 5

(नियम 7 देखिये)

क. राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	बाजार उधार									
(2)	केन्द्र से ऋण									
(3)	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां									
(4)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार									
(5)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय/अधिविकर्षण									
(6)	लोक लेखा									
(7)	अन्य जमा									
(8)	योग									

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

क्रं.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	पूर्व वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	बाजार से उधार				
(2)	केन्द्र से ऋण				
(3)	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां				
(4)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार				
(5)	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण				
(6)	लोक लेखा				
(7)	अन्य जमा				
(8)	कुल औसत दर *				

अधिमान औसत ब्याज दर, जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई।

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

क्रमांक	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)		
(2)	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)		
(3)	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या		
(4)	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या		
(5)	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या		

*जैसा 31 दिसम्बर को है।

प्ररूप - एफ - 6
(नियम 7 देखिये)
संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप - एफ - 7

(नियम 7 देखिये)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

टिप्पण:- आंकड़ा (डाटा) चालू वर्ष के लिये 31 दिसम्बर तक है।

प्ररुप - एफ - 8
(नियम 7 देखिये)

(रकम रुपये करोड़ में)

प्रत्याभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ.)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोव्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप - एफ - 9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

क्रमांक	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	ऋण एवं अग्रिम स्थानीय निकायों को ऋण कंपनियों को ऋण अन्य को ऋण			
(2)	साम्या विनिधान (इक्विटी इनवेस्टमेंट) अंशपूज्जी (शेयर) बोनस शेयर			
(3)	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/कोषालयीन बिलों में विनिधान			
(4)	14 दिन के इंटरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान			
(5)	अन्य वित्तीय विनिधान			
(6)	योग			

टिप्पणी:- केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

प्ररूप - एफ - 10
(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर			
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर			
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व			
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस			
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर			
0039	राज्य आबकारी			
0041	यानों पर कर			
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क			
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग			
0700-	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई			
0701-	मध्यम, तथा			
0702	लघु सिंचाई			
0406	वन तथा वन्य जीव			
	अन्य			
	योग			

घ. विश्वविद्यालयों में नियोजन

(पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति में)

क्रमांक	वेतन समूह (रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
	योग		

ङ. नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

(पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति में)

क्रमांक	वेतन समूह (रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
	योग		

च. विकास प्राधिकरणों में नियोजन

(पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति में)

क्रमांक	वेतन समूह (रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
	योग		

छ. ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

(पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति में)

क्रमांक (1)	वेतन समूह (रुपयों में) (2)	कर्मचारियों की संख्या (3)	प्रतिशत (4)
	योग		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(**व्ही.एल. कान्ताराव**)
संचालक, बजट
म.प्र. शासन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, dated 24-01-2006

No. 29/F-15-6/2005/IV-B/EPAU - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No.18 of 2005) the State Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Niyam, 2006.
- (2) They shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions:

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires;
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No.18 of 2005);
 - (b) "Form" means a form appended to these rules;
 - (c) "Section" means a section of the Act;
 - (d) "Previous Year" means the financial year preceding of the current year;
 - (e) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.
- (2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Macroeconomic Framework Statement:

The Macroeconomic Framework Statement as required under Section 6, shall be in **Form F-1**.

4. Medium Term Fiscal Policy Statement:

(1) The Medium Term Fiscal Policy Statement, as required under sub-section (1) of section 7, shall be in **Form F-2** which shall include five year rolling targets in respect of the following fiscal indicators:

- (a) revenue deficit as a percentage of GSDP;
- (b) fiscal deficit as a percentage of GSDP;
- (c) outstanding total liabilities as a percentage of GSDP;

(2) The Medium Term Fiscal Policy Statement shall also explain the assumptions underlying the above mentioned targets for fiscal indicators and an assessment of sustainability relating to the items indicated in sub-section (2) of section 7 of the Act.

5. Fiscal Policy Strategy Statement:

(1) The Fiscal Policy Strategy Statement as required under Section 8 shall be in **Form F-3**.

6. Guarantee:

The total revenue receipts mentioned in clause (d) of sub section (2) of section 9 of the Act shall not include any receipt, which is transitory in nature.

7. Disclosures:

(1) The State Government shall, at the time of presenting the budget, make disclosures as required under section 10 of the Act in the following statements, namely:

- (a) a statement of select indicators of fiscal situation in **Form F-4**;
- (b) a statement on components of State Government liabilities and interest cost of borrowings/mobilisation of deposits in **Form F-5**;
- (c) a statement on the Consolidated Sinking Fund in **Form F-6**;
- (d) a statement on guarantees given by the Government in **Form F-7**;
- (e) a statement on the Guarantee Redemption Fund in **Form F-8**;
- (f) a statement of financial assets in **Form F-9**;
- (g) a statement on claims and commitments made by the State Government on revenue demands raised but not realised in **Form F-10**;
- (h) a statement on the details of number of employees in the State Government, State Public Sector Undertakings and State aided institution and related salaries in **Form F-11**.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be complied with not later than one year from the date of coming into force of the Act.

8. Measures to enforce compliance

In case the outcome of the half-yearly reviews of trends in receipts and expenditure, at the end of the second quarter of any financial year shows that -

- (i) the total non-debt receipts are less than 10 per cent of Budget Estimates for that period; or
- (ii) the fiscal deficit is higher than the Budget Estimates for that year by 10 percent; or
- (iii) the revenue deficit is higher than the Budget Estimates for that year by 10 per cent ;

then;

- (a) the State Government shall take appropriate measures as required under sub-section (2) of section 11, and
- (b) as required under clause (b) of sub-section (3) of section 11 of the Act, the Minister-in-charge of the Ministry of Finance shall make a statement immediately following the end of the second quarter detailing the corrective measures taken and the prospects for the fiscal deficit of that financial year.

9. Review:

A review of the compliance of the provisions of these rules shall be done once in two years by an agency to be appointed by the State Government and such reviews shall be laid on the table of State Legislature.

MACRO ECONOMIC FRAMEWORK STATEMENT

A. 1. **Overview of the State Economy:** A synoptic analysis of trend in the rate of growth of output.

2. **GSDP Growth:** An analysis of trends in overall GSDP growth and its sectoral composition.

3. **Overview of State Government Finances:** The developments in State Finances including an analysis of trends in revenue collections and expenditure, and the important fiscal indicators.

4. **Prospects:** An assessment shall be made regarding the growth prospects and fiscal prospects.

B. Trends in Select Fiscal Indicators

S.No.	Fiscal Indicators	Previous Year	Current Year	Ensuing Year	% change in Current Year over Previous Year	% change in Ensuing Year over Current Year
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Revenue Receipts (2 +3+4)					
2	Tax Revenue (2.1+2.2)					
2.1	State Tax					
2.2	Share in Central Taxes					
3	Non-Tax Revenue					
4	Grant-in-aid from Central Govt.					
5	Capital Receipts (6+7+8)					
6	Recovery of loans and advances					
7	Net public debt					
8	Net Receipts from Public Account					
9	Total Receipts (1+5)					
10	Revenue Expenditure (10.1+10.2)					
10.1	Non-Plan Revenue Expenditure					
10.2	Plan Revenue Expenditure					
10.3	Revenue Expenditure <i>Of which:</i>					
10.3.1	Interest payments					
10.3.2	Subsidies					

10.3.3	Wages & Salaries					
10.3.4	Pension Payments					
11	Capital Expenditure (11.1+11.2)					
11.1	Non-Plan Capital Expenditure					
11.2	Plan Capital Expenditure					
12	Loans and advances (12.1+12.2)					
12.1	Non Plan Loans and advances					
12.2	Plan Loans and advances					
13	Total Expenditure					
13.1	Non Plan Expenditure (10.1+11.1+12.1)					
13.2	Plan Expenditure (10.2+11.2+12.2)					
14	Revenue Deficit (1-10)					
15	Fiscal Deficit (1+6-13)					
16	Primary Deficit [1+6-(13-10.3.1)]					

MEDIUM TERM FISCAL POLICY STATEMENT**A. Fiscal Indicators - Rolling Targets**

Fiscal Indicator	Previous Year (Y-2) Accounts	Current Year (Y-1) Revised Estimates (RE)	Ensuing Year (Y); Budget Estimates (BE)	Targets for next three Years		
				Y + 1	Y + 2	Y + 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Revenue Deficit as percentage of GSDP						
2. Fiscal Deficit as percentage of GSDP						
3. Total outstanding Liabilities as percentage of GSDP						

B. Assumptions underlying the Fiscal Indicators

- (1) Revenue receipts
 - (a) Tax-revenue
 - (b) Non-tax revenue
 - (c) Share of State tax revenue to total revenue receipts
 - (d) Share of State non-tax revenue to total revenue receipts

- (2) Capital receipts - Debt stock, repayment and fresh loans.
 - (a) Loans and advances from the Centre
 - (b) Special securities issued to the NSSF
 - (c) Recovery of loans and advances
 - (d) Borrowings from financial institutions
 - (e) Other receipts (net) – provident funds, etc.
 - (f) Outstanding Liabilities - Internal Debt and Other Liabilities

- (3) Total expenditure
 - (a) Revenue account
 - (i) Interest payments – (a) on borrowings during the year; (b) on outstanding liabilities
 - (ii) Major subsidies
 - (iii) Salaries
 - (iv) Pensions
 - (v) Others.
 - (b) Capital account
 - (i) Loans and advances
 - (ii) Capital Outlay

- (4) GSDP Growth

C. Assessment of sustainability relating to -

(1) The balance between receipts and expenditure in general and State revenue receipts and revenue expenditure in particular: The Medium Term Fiscal Policy Statement shall specify the tax-GSDP ratio, own tax-GSDP ratio and State's share in Central tax – GSDP ratio for the current year and subsequent four years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss policies to contain expenditure on salaries, pension, subsidies and interest payments. An assessment of the capital receipts shall be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for GSDP and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators in achieving the sustainability objective.

(2) The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets: The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets. It may also spell out the proposed changes among these categories and discuss them in terms of the overall policy of the Government.

(3) The estimated yearly pension liabilities for the next ten years: The Medium Term Fiscal Policy Statement may estimate the pension liabilities by making forecasts on the basis of trend growth rates.

FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT

- 1. Fiscal Policy Overview** presenting an overview of the fiscal policy currently in vogue.
- 2. Fiscal policy for the ensuing year** dealing with tax and non-tax policy, expenditure policy, borrowings and contingent liabilities.
- 3. Strategic priorities for the ensuing year describing** resource mobilization. broad principles underlying the expenditure management, priorities relating to management of public debt.
- 4. Rationale for Policy changes with regard to** major policy changes in respect of budgeted expenditure, including expenditure on subsidies and pensions, management of the public debt and the charges for public utilities.
- 5. Policy Evaluation** presenting an assessment of the current fiscal policy in relation to the fiscal management principles and the fiscal targets set out in the Medium Term Fiscal Policy Statement.

FORM F-4
[see Rule 7]

SELECT FISCAL INDICATORS

S.No.	Item	Previous Year (Accounts)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Gross Fiscal Deficit as Percentage of GSDP			
(2)	Revenue Deficit as Percentage of Gross Fiscal Deficit			
(3)	Revenue Deficit as Percentage of GSDP			
(4)	Revenue Deficit as Percentage of TRR			
(5)	Total Liabilities -GSDP Ratio (%)			
(6)	Total Liabilities - Total Revenue Receipts (%)			
(7)	Total Liabilities –State’s Tax Revenue Receipts (%)			
(8)	State’s Tax Revenue Receipts to Revenue Expenditure (%)			
(9)	Capital Outlay as Percentage of Gross Fiscal Deficit			
(10)	Interest Payment as Percentage of Revenue Receipts			
(11)	Salary Expenditure as Percentage of Revenue Receipts			
(12)	Pension Expenditure as Percentage of Revenue Receipts			

FORM F-5

[see Rule 7]

A. Components of State Government Liabilities

(Rs crore)

S.No	Category	Raised or to be raised during the Fiscal Year			Repayment/Redemption during the Fiscal Year			Outstanding Amount (as on 31 st March)		
		Previous Year (Acc)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)	Previous Year (Acc)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)	Previous Year (Acc)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	Market Borrowings									
(2)	Loans from Center									
(3)	Special Securities issued to the NSSF									
(4)	Borrowings from Financial Institutions/Banks									
(5)	WMA/OD from RBI									
(6)	Public Account									
(7)	Other Deposits									
(8)	Total									

B. Weighted Average Interest Rates on State Government Liabilities

(per cent)

S.No	Category	Raised during the Fiscal Year [^]		Outstanding Amount (as on 31 st March)	
		Previous Year (Acc)	Current Year (RE)	Previous year (Acc)	Current Year (RE)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Market Borrowings				
(2)	Loans from Centre				
(3)	Special Securities issued to the NSSF				
(4)	Borrowings from Financial Institutions/ Banks				
(5)	WMA/OD from RBI				
(6)	Public Account				
(7)	Other Deposits				
(8)	Overall Average Rate *				

[^] Weighted average interest rate where the respective weight is the amount borrowed. This is calculated on contractual basis and then annualized.

* Weighted average interest rate where the weights are the amount of the respective components of State Government liabilities.

C. Details of Special Ways & Means Advance / Ways & Means Advance Overdraft availed by the State Government from Reserve Bank of India

S.No.	WMA/OD	Previous Year	Current Year*
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Average amount of WMA (Rs crore)		
(2)	Average amount of OD (Rs crore)		
(3)	Number of days of WMA		
(4)	Number of days of OD		
(5)	Number of occasions of OD		

* as on 31st December

FORM F-6
[see Rule 7]

Consolidated Sinking Fund (CSF)

(Rs in Crore)

Outstanding balance in CSF at the beginning of the previous year	Additions to CSF during the previous year	Withdrawals from CSF during the previous year	Outstanding balance in CSF at the end of the previous year/ beginning of current year	(4)/ Outstanding Stock of SLR Borrowings at the beginning of current year (%)	Additions to CSF during the current year	Withdrawals from CSF during the current year	Outstanding balance at the end of current year/ beginning of ensuing year	(8)/ Outstanding Stock of SLR Borrowings at the end of current year (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORM F –7
[see Rule 7]

Guarantees given by the Government

Category (No. of Guarantees within bracket)	Maximum Amount Guaranteed during the year (Rs. crore)	Outstanding at the beginning of the year (Rs. crore)	Additions during the year (Rs. crore)	Reductions during the year (other than invoked during the year) (Rs. crore)	Invoked during the year (Rs. crore)		Total outstanding Guarantees (Rs. crore)	Guarantee Commission or Fee (Rs. crore)		Total outstanding Guarantees as a % of Total Revenue Receipts
					Discharged	Not discharged		Receivable	Received	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Note: Data for the current year is upto 31st December.

FORM F-8
[see Rule 7]

Guarantee Redemption Fund (GRF)

(Amount in Rs. Crore)

Outstanding invoked guarantees at the end of the previous year	Outstanding Amount in GRF at the end of the previous year	Amount of Guarantees Likely to be Invoked during the current year	Addition to GRF during the current year	Withdrawal from the GRF during the current year	Outstanding Amount in GRF at the end of the current year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM F - 9
[see Rule 7]
STATEMENT OF FINANCIAL ASSETS

S.No.	Item	Assets at the beginning of the previous year	Assets acquired during the previous year	Cumulative total of assets at the end of the previous year
		Book Value (Rs. cr.)	Book Value (Rs. cr.)	Book Value (Rs. cr.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Loans and advances Loans to Local Bodies Loans to companies Loans to others			
(2)	Equity Investment Shares Bonus shares			
(3)	Investments in GoI dated securities/Treasury Bills			
(4)	Investments in 14-day Intermediate Treasury Bills			
(5)	Other financial investments			
(6)	Total			

Note: Assets above the threshold value of Rupees two lakh only to be recorded.

Form F - 10
[see Rule 7]
REVENUES RAISED BUT NOT REALISED
(principal taxes and non-taxes)

(As at the end of the previous year)

Major Head	Description	Amount under disputes (Rs. crore)	Amount not under disputes (Rs. crore)	Grand Total (Rs crore)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Taxes on Income and Expenditure			
0023	Hotel Receipts Tax			
0028	Other Taxes on income and expenditure			
	Taxes on Property and capital Services			
0029	Land Revenue			
0030	Stamps and Registration fees			
	Taxes on Commodities and Services			
0040	Taxes on Sales, trade, etc			
0039	State Excise			
0041	Taxes on Vehicles			
0045	Other taxes and duties on commodities and services			
0043	Taxes and Duties on Electricity			
0853	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
0700	Major			
0701	Medium and			
0702	Minor Irrigation			
0406	Forestry and Wild life			
	Other			
	TOTAL			

A. Employment in State Government

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

B. Employment in State Public Sector Undertakings

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

C. Employment in Semi Government Bodies

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

D. Employment in Univercities

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

E. Employment in Urban Local Bodies

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

F. Employment in Development Authorities

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

G. Employment in Rural Local Bodies

(As at the end of the previous year)

S.No.	Pay Group (in Rupees)	No. of Employees	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total		

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

(V.L. Kantha Rao)
Director, Budget
Government of Madhya Pradesh